

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सैक्टर 19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू-प्रबंध)

दूरभाष. 0771 2512840

ई मेल: apeccf-lm.cg@gov.in

क./भू-प्रबंध/रिंचाई/425-61/2219

रायपुर, दिनांक 13/07/2018

प्रति,

वन महानिरीक्षक (एफ.सी)
भारत सरकार – पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
इंदिरा पर्यावरण भवन
कक्ष क्रमांक 556, पांचवी मंजिल
अग्नि विंग, जोर बाग रोड़
नई दिल्ली – 110003

विषय: – Proposal for diversion of 48.83 ha. Of forest land for construction of Markatola Tank in favour of Water Resource Department, Rajnandgaon under Forest (Conservation) Act, 1980 in Rajnandgaon District in the State of Chhattisgarh-reg.

पंजीयन क्रमांक /FP/CG/IRRIG/ 23251 / 2016

- संदर्भ:**
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक F. No. 8-32/ 2018-FC दिनांक 14.06.2018
 2. वन मंडलाधिकारी, राजनांदगांव वन मंडल का पत्र क्रमांक/ मा. चि/ 42/ 1287 दिनांक 03.07.2018

* * * * *

विषयांतर्गत संदर्भ पत्र –1 द्वारा दिनांक 17.05.2018 को आयोजित वन सलाहकार समिति (FAC) की बैठक में की गई अनुशंसा के अनुसार 05 बिन्दुओं से संबंधित जानकारी चाही गई है।

संदर्भ पत्र –2 के माध्यम से उक्त बिन्दुओं की जानकारी इस कार्यालय को प्राप्त हुई है, जो निम्नानुसार है:-

क्र.	कड़िका	उत्तर
1	Compensatory afforestation is proposed over 100 ha- of orange forest land in lieu of forest area sought for diversion. On analysis on DSS it is observed that some compartment of the proposed CA area is falling in protected Forest. Since present proposal is a state government project. double degraded forest area for CA cannot be accepted and need reverification. State government shall revise the CA Scheme and the area proposed for CA Plantation and submits it along with DSS analysis reports for consideration of FAC.	व्यपवर्तित क्षेत्र 48.83 हे. के एवज में 102.237 हे. राजस्व वन भूमि (नारंगी वन क्षेत्र) को कलेक्टर राजनांदगांव द्वारा उनके प्रमाण पत्र दिनांक 25.11.2017 के माध्यम से वन भूमि घोषित करने हेतु अनापत्ति दी जा चुकी है परंतु उक्त क्षेत्र रोपण हेतु उपयुक्त न होने के कारण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का कार्य संरक्षित वन कक्ष क्रमांक 702 एवं 704 में कुल 97.66 हे. वन भूमि में (संरक्षित वन) में 1000 पौधे प्रति हे. से कराया जाना प्रस्तावित है, जो भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 08.11.2017 की गाईडलाईन के अनुरूप है। राज्य शासन के पत्र क्रमांक एफ 5-6/2018/10-2 दिनांक 21.03.2018 द्वारा जब भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया गया था तब बिन्दु 6 पर भी इसका उल्लेख किया गया था।

Other land use plan (including proposed location of forest) submitted by State Government is in compliance with the State Government's forest management plan.

अन्य भू-उपयोग योजना (संलग्नक -1) में प्रस्तावित वन स्थल/संरक्षण क्षेत्र/संरक्षण क्षेत्र के विषय में राज्य सरकार की योजना का उद्देश्य राज्य सरकार के वन प्रबंधन योजना के अनुरूप है।

<p>3. As per enumeration list of trees to be felled submitted by State Government it is observed that 7910 trees are to be felled but in DFO recommendation it is reported that cleaning of forest and breaking of land shall not be done. This recommendation of DFO may be clarified.</p>	<p>जैसे कि सूची में सूचीबद्ध 7910 वृक्ष काटने के लिए सूचीबद्ध है, लेकिन डी.ओ. की सिफारिश में वन सफाई और भू-खंडन नहीं किया जाएगा। इस डी.ओ. की सिफारिश को स्पष्ट किया जा सकता है।</p>
<p>4. As per description provided in the proposal it is mentioned that the total period for which forest land is proposed for diversion is only for one year. This detail need further clarification from State Government.</p>	<p>प्रस्तावित जलपरिवर्तन क्षेत्र बांध निर्माण के पश्चात जल-तक बांध का अस्तित्व होगा तब तक के लिए जलपरिवर्तन माना जाएगा। आवेदक संस्थान द्वारा इस आशय का वचन पत्र दिया गया है (संलग्नक -2)।</p>
<p>5. State Government shall submit cost benefit analysis as per latest guidelines dated 01-08-2017 issued by MoEF & CC.</p>	<p>Cost Benefit Analysis निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर संलग्न हैं (संलग्नक -3)।</p>

उपरोक्तानुसार प्रकरण में प्रथम चरण की स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न:- संलग्न- 1, 2 एवं 3 की छाया प्रति

(एस. एस. बजाज)
अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र0/भू-प्रबंध/सिंचाई/ 425-61/ 2220
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

रायपुर, दिनांक 13/07/2018

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय - वेस्ट सेन्ट्रल रीजन, ईस्टर्न विंग - भू तल, न्यू सेक्रेटियेट भवन, VCA स्टेडियम, सिविल लाईन, नागपुर - 440001
3. मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग, छत्तीसगढ़।
4. वन मंडलाधिकारी, राजनांदगांव वन मंडल, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।
5. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़